

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 5350—5351
Dated : 1-11-97

जल भूतल परिवहन मंत्रालय
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1997

New Delhi, the 12th September, 1997

का.आ. 2788.—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियमावली, 1997 के नियम 3 साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिसूचित करती है कि राज्य राजमार्ग वद्यावती-तारकेश्वर सड़क पर 22 कि.मी. से पालसित तक के अंतिम बिन्दु के बीच दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग के भाग पर स्थायी पुलों, अस्थायी पुलों अथवा सुरंगों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क वसूल किया जाएगा।

S.O. 2788.—In exercise of powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Rate of Fee) Rules, 1997, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and paid fee on mechanical vehicles for the use of permanent bridges, temporary bridges or tunnels, as the case may be, on the part of Durgapur Expressway between KM 22 to the end point at Palsi through State Highway Badyabati-Tarakeswar Road at the rates specified in Scheduled Annexed hereto, namely :—

अनुसूची

SCHEDULE

(दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग के प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क की दरें)

(Rates of fees to be recovered from the users of Durgapur Expressway)

क्रम सं	वाहन का प्रकार	दर
1.	कार अथवा जीप अथवा वैन	0.40 रु० प्रति कि.मी.
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	0.70 रु० प्रति कि.मी.
3.	ट्रक अथवा बस	1.40 रु० प्रति कि.मी.
4.	हैवी कन्स्ट्रक्शन मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर	3.00 रु० प्रति कि.मी.

S. No.	Type of Vehicle	Rate
1.	Car or Jeep or Van	Re. 0.40 per km.
2.	Light Commercial Vehicles	Re. 0.70 per km.
3.	Truck or Bus	Rs. 1.40 per km.
4.	Heavy construction machinery and earth-moving equipment	Rs. 3.00 per km.

बशर्ते कि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट वाहन की किसी भी श्रेणी में रक्षा विभाग, पुलिस विभाग, अग्नि शमन विभाग, डाक तार विभाग, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अथवा स्थानीय निकायों के वाहन तथा एम्बुलेंस अथवा शव-यान शामिल नहीं होंगे।

Provided that any category of vehicle specified in this Schedule shall not include any vehicle on duty of Defence Department, Police Department, Fire-Fighting Department, Post and Telegraph Department, Central Government, State Government, or Local Bodies and ambulance or funeral van.

[सं. आर. डब्ल्यू./एनएच-15013/37/94-पीएल]
डी. एन. गुप्ता, अवर सचिव

[RW/NH-15013/37 94-PLI
D. N. Gupta, Under Sec